

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 83 / 2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-प्रार्थी

-:बनाम:-

नवरत्न पुत्र विजयचंद (मालिक एवं विक्रेता)

मैसर्स:-जैन वैरायटी स्टोर, भादू पंप के सामने, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-वार्ड नं. 08, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

-अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51  
उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-:निर्णय:-

दिनांक :- 09.05.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 12.01.2023 को समय प्रातः 11.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-जैन वैरायटी स्टोर, भादू पंप के सामने, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर नवरत्न पुत्र विजयचंद (विक्रेता) उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास बेचान वास्ते रखे स्टील के खुले बर्तन में दही तादाद करीब 4 किलोग्राम आमजन के विक्रय हेतु हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 800 ग्राम दही अच्छी तरह हिला-मिलाकर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको मथनी से एक रूप करवाकर चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली कांच की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के दही में 20-20 बूंदे फॉर्मैलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त दही के खरीद मूल का 48/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा दही 800 ग्राम को 04 बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और 4 लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके-2370 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2370 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक


हैलथ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 37 दिनांक 23.01.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Sub-Standard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/4024-25 दिनांक 16.02.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Sub-Standard दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर दही विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (2) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि उसकी दुकान से लिए गए दही के सैंपल की रिपोर्ट गलत है। जो भी कमियां पाई गई है वे वातावरण में नमी व धूल होने के कारण आई है। पुनः जांच के बारे में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी द्वारा काम अब बंद कर दिया गया है। प्रार्थी ने बहस में लैब रिपोर्ट सही होने एवं दही में फ़ैट कम होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये दही की जांच में Sub-Standard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard दही का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी Sub-Standard दही विक्रेता जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (2) की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Sub-Standard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/- (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(उम्मेदी लाल मीना)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ